विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम): (क) दिल्ली के चीफ मैट्रोपोलीटन मैजिस्ट्रेट ने अपने दिनांक 3.2.1999 के आदेश में इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत केन्द्र द्वारा फैलाए गए नदी प्रदूषण के संबंध में दिल्ली विद्युत बोर्ड और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कुछ निदेश दिए हैं। निःसरणों के प्रत्येक सप्ताह के नमूनों की जांच करते समय यह कहा कि यदि इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत केन्द्र द्वारा छोड़े जा रहे निःसरण विभिन्न मानदंडों की निर्धारित सीमाओं से अधिक हो जाते हैं तो न्यायालय संयंत्र को बंद किए जाने पर विचार कर सकता है।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली विद्युत बोर्ड ने निःसरणों के प्रत्येक सप्ताह संयुक्त नमूने लेने के लिए अपने प्रमुख अधिकारियों को नियुक्त किया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कुछ अल्पकालीन/दीर्घ-कालीन उपाय सुझाए हैं जिनमें निर्धारित सीमा को प्राप्त करने के लिए प्लावी (बहाव) (सुपरलेटेंट) में घुले हुए ठोस कणों को नीचे बैठने के समय को बढ़ाए जाना बेहतर राख कुंड प्रबंधन के लिए उड़न राख मिशन द्वारा की गई सिफारिशों का क्रियान्वयन करना, राख आधारित ईंटों के निर्माण के संयंत्र की स्थापना हेतु उद्यमियों को अभिज्ञात करना इत्यादि शामिल है। दिल्ली विद्युत बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि वह इन सुझावों की अनुपालना कर रहा है।

Non-referring of power projects to CEA

884. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Union Government has mooted any proposal to allow power corporates to develop their projects involving investment of Rs. 20,000 crore without referring them to the Central Electricity Authority (CEA) for its techno-economic viability, approval and clearance, as reported in the Hindustan Times, dated the 4th February, 1999;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether this proposal would open the flood gates to private power consultants on whom the States and Centre will have to reply for ascertainIng the viability of a power venture instead of CEA as at present?

THE MINISTER OF POWER, MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): (a) to (c) The Hindustan Times, Delhi edition, in its edition dated 14th Feb., 1999 (and not 4th Feb., 1999), has carried an article on this issue. The matter is under consideration in consultation with the concerned agencies of Government.

दिल्ली में विद्युत संकट

885. श्री बालकवि बैरागी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) सरकार द्वारा दिल्ली में चल रहे विद्युत संकट को दूर करने के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की योजनाओं पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) दिल्ली में विद्युत संकट को दूर करने के मार्ग में क्या-क्या बाधाएं हैं?

विद्युत मंत्री संसदीय कार्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम): (क) और (ख) सभी तकनीकी और प्रशासनिक मामलों समेत विद्युत की आपूर्ति और वितरण करना संबंधित राज्य विद्युत बोर्ड/राज्य सरकार का कार्य है और जिम्मेवारी है और दिल्ली विद्युत बोर्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के नियंत्रण में है।

विद्युत मंत्रालय की पहल पर दिल्ली सरकार/दिल्ली विद्युत बोर्ड के अधिकारियों के साथ कई बैठकें आयोजित की गई थीं विद्युत मंत्रालय द्वारा वितरण प्रणाली के सुधार और पुनर्संरचना आदि के बारे में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत भी उपलब्ध कराए गए हैं।

13-11-98 को सचिव (विद्युत) द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/डीवीबी के अधिकारियों और अन्य के साथ ली गई बैठक में वर्ष 1999 के ग्रीष्मकाल के दौरान दिल्ली में विद्युत की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई कार्य योजना की समीक्षा की गई थी। यह निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/डीवीबी को अप्रैल, 1999 के अंत तक अपने विद्युत स्टेशनों को निवारक अनुरक्षण

करना चाहिए, अपना उत्पादन अधिकतम करना चाहिए, एनटीपीसी के पूर्वी क्षेत्र के स्टेशनों से 100 मे०वा० विद्युत का आयात करने के लिए प्रचालनात्मक/वाणिज्यिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना चाहिए, ग्रीष्मकाल के महीनों के दौरान हिमाचल प्रदेश से अधिशेष विद्युत प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के साथ समझौता निष्पन्न करना चाहिए, दिल्ली की प्रणाली में शंट कैपेसिटरों की अपेक्षित मात्रा में अधिष्ठापना करना चाहिए, अपने पोरेषण वितरण व रूपांतरण प्रणाली में विस्तकर करना चाहिए और पूर्ण वर्तमान ऊर्जा बिलों के लिए बदरपुर टीपीएस के पक्ष में साख पत्र खोलना चाहिए इत्यादि। यह भी निर्णय लिया गया था कि ग्रीष्मकाल के महीनों के दौरान उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र वाले स्टेशनों के अनाबंटित कोटे से विद्युत आबंटन का वर्तमान स्तर 9% से बढ़ाकर 25% किया जाएगा।

डीवीबी के अनुसार, उसने अन्ता-2, औरैया-2 रिहन्द-2 और ऊंचाहार-2 विद्युत स्टेशनों से विद्युत का आबंटन किए जाने के लिए एनटीपीसी से तथा दिनांक 1.4.99 से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से 105-225 मे०वा० विद्युत की खरीद करने के लिए व्यवस्थाएं कर ली हैं। डीवीबी पूर्वी क्षेत्र से 100 मे०वा० विद्युत की निकासी के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता निष्पन्न करने पर भी विचार कर रही है।

Central Directive to Check Power Theft

886. SHRI SANJAY NIRUPAM: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government have considered the seriousness of the large scale theft of electricity in the country;

(b) if so, what measures/guidelines have been suggested/sent to State Governments/State Electricity Boards to check this menace; and

(c) whether there has been any improvement as a result thereof?

THE MINISTER OF POWER, MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): (a) to (c) Yes, Sir. Power distribution falls within the purview of State Governments. The SEBs/EDs are responsible for taking necessary steps for reduction of losses including theft. However, "Guidelins for reduction of T & D losses" were issued in February, 1986 and were subsequently revised in 1991. Separate figures for theft are not available. They are included in transmission and distribution losses. In accordance with the guidelines, the utilities were advised to conduct pilot studies to evolve optimal parameters for loading different sizes of conductors, length of lines, distribution transformation capacities, etc. They were also advised to formulate system improvement schemes based on these studies. "Guidelines for conducting Energy Audit", were issued to SEBs/EDs in April 1986 and were revised in May, 1992, wherein the usefulness and desirability of conducting energy audit in the power system was clearly brought out.

Theft of electricity has been made a cognizable offence from August, 1986 under the amended provisions of Section 39 of Indian Electricity Act, 1910 and the utilities have been advised to use the same to book the offenders. These measures have helped in checking the rapid proliferation of the menace.

Survey for Power Generation Potential of Sabari River in Andhra Pradesh

887. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether any body or authority has done any survey of power generation potential of the Sabari River, a tributary of River Godavari, flowing in Andhra Pradesh;

(b) if so, the details of findings of this survey;

(c) whether any survey of power generation potential from River Godavari has also been done;

(d) if so, the details thereof: